न्यायालय जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी : श्री एल.एन. मंत्री, आई.ए.एस.

राजस्व विविध प्रकरण संख्या : 23/2024
जी.सी.एम.एस. संख्या : 2024/124

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
गोपालसिंह पुत्र नेनसिंह, जाति राजपूत, निवासी गोदावास, तहसील व जिला पाली (राज.)		1. राजाराम पुत्र किस्तुर, जाति बावरी, निवासी गोदावास, तहसील व जिला पाली (राज.) 2. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार पाली

राजस्व विविध प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम, 1970 के नियम 14(4)

उपस्थित :–

प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री नारायण लाल कुमावत
अप्रार्थी संख्या 01 की ओर से अधिक्ता श्री मदनदास वैष्णव

–: निर्णय :–

दिनांक :– 19.05.2025

प्रार्थी ने यह प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत राजस्थान कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम, 1970 के नियम 14(4) के तहत तहसीलदार पाली द्वारा ग्राम गोदावास के खसरा संख्या 23 रकबा 06 बीघा में आंवटन आदेश 20.07.1968 को निरस्त करवाने हेतु प्रस्तुत किया है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। जैर आवंटन आदेश तलब किया गया। प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री नारायण लाल कुमावत व अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री मदनदास वैष्णव उपस्थित हुए। बहस उभयपक्ष सुनी गई।

जिला कलेक्टर, पाली

अधिवक्ता प्रार्थी ने अपने प्रार्थना–पत्र में वर्णित तथ्यों को वक्त बहस दोहराते हुए निवेदन किया कि मौजा ग्राम गोदावास पटवारी हल्का डिरी तहसील पाली के सरहद में स्थित खसरा संख्या 23 क्षेत्रफल 06 बीघा किस्म बारानी सोयम की कृषि भूमि स्थित है, जो सिवायचक भूमि थी। जैर कृषि भूमि पर अपीलाण्ट के पिता नेनसिंह पुत्र रघुनाथसिंह का कब्जा होने के बावजूद भी उक्त भूमि अप्रार्थी संख्या 01 को आवंटित कर दी जो कि विधि विरूद्ध है। जैर आराजी सिवायचक होने से तहसीलदार पाली द्वारा तत्समय अपीलाण्ट के पिता का अतिक्रमण मानकर उसके विरूद्ध धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम की कार्यवाही भी अमल में लाई गई जिससे भी सिद्ध होता है कि जैर आराजी पर अपीलाण्ट के पिता का लगातार कब्जा काश्त होते हुये भी आवंटन कर दिया जो कि विधि विरूद्ध है। अपीलाण्ट के पिता के देहान्त के बाद जैर आराजी पर अपीलाण्ट व उनके परिवार का मौके पर कब्जा चला आ रहा है एवं उक्त भूमि वर्तमान में आवंटन के 56 वर्षों बाद भी खाली पड़ी है तथा मौके पर अंग्रेजी बबूल खड़े है तथा उक्त कृषि भूमि पर रेस्पो. संख्या 01 का कभी कब्जा काश्त नहीं रहा है तथा न ही मौके पर उक्त भूमि का राजस्व अधिकारियों द्वारा उक्त आवंटन आदेश की पालना में कब्जा सुपुर्द किया है। अप्रार्थी संख्या 02 द्वारा जैर आवंटन आदेश हेतु राजस्व अधिकारी के समक्ष जो आवेदन प्रस्तुत किया जिसमें अप्रार्थी संख्या 01 ने स्वयं को भूमिहीन होना बताया जबकि रेस्पो. संख्या 01 के नाम से ग्राम गोदावास में पूर्व से पैतृक रूप से प्राप्त हुई खातेदारी कृषि भूमि खसरा संख्या 39/2 रकबा 10 बीघा भूमि आई हुई है जिससे स्पष्ट है कि आवंटी जैर आवंटन के समय भूमिहीन नहीं था जिससे जैर आवंटन काबिले खारिज है। अप्रार्थी संख्या 01 सरकारी कर्मचारी होते हुए भी जैर आवंटन अप्रार्थी के पक्ष में किया गया जो विधि विरूद्ध होने से काबिले खारिज है। जैर आवंटन आदेश पारित करने से पूर्व जैर आराजी

आवंटन योग्य है अथवा नहीं उक्त बाबत् हल्का पटवारी से कोई विधिवत रिपोर्ट प्राप्त नहीं की गई। जैर आवंटन आदेश दिनांक 20.07.1968 से दिनांक 06.12.2010 तक राजस्व रेकर्ड में कभी अप्रार्थी का नाम इन्द्राज नहीं रहा न ही जैर आवंटन आदेश से दिनांक 06.12.2010 तक आवंटन नियम व शर्तों अनुसार न तो कभी कब्जा रहा, न अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा उक्त कृषि भूमि पर काश्त की गई। अप्रार्थी संख्या 01 राजकीय कर्मचारी होने से व उपखण्ड कार्यालय पाली में कार्यरत होने से करीबन 42 वर्ष बाद वाले–वाले नामान्तरकरण संख्या 780 विधि विरूद्ध तरीके से खसरा संख्या 23/1 के संबंध में स्वीकृत किया जबकि खसरा संख्या 23/1 अन्य सहखातेदार रूपाराम पुत्र अचलाराम व शंकरलाल पुत्र अचलाराम की खातेदारी भूमि है। जैर आराजी पर अप्रार्थी संख्या 01 का कभी कब्जा काश्त रहा ही नही, जिससे जैर आवंटन आदेश आवंटन नियमों व शर्तों के विरूद्ध होने से काबिले खारिज है। अतः जैर प्रार्थना–पत्र स्वीकार कर जैर आवंटन अविधिक होने से खारिज फरमावे। अधिवक्ता प्रार्थी ने अपने कथनों के समर्थन में न्यायिक नजीर RRT 2007 (1) प्रस्तुत की।

अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 01 ने प्रार्थी के अधिवक्ता की बहस का खण्डन करते हुए अपनी प्राथमिक आपत्ति मय जवाब में वर्णित कथनों को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थी स्वयं ने जैर आराजी अतिक्रमित भूमि होना स्वीकार किया है जिससे जैर आराजी प्रार्थी की ऑक्युपाईड भूमि नहीं मानी जा सकती बल्कि ऐसी भूमि आवंटन हेतु उपर्युक्त यानि अनऑक्युपाईड ही मानी जाती है, साथ ही सरकारी भूमि पर किसी व्यक्ति का कब्जा trespass ही माना जाता है। प्रार्थी के प्रार्थना–पत्र में वर्णित आराजी संख्या 23 (23/2) रकबा 06 बीघा भूमि का आवंटन आदेश दिनांक 20.07.1968 को भूमि आवंटन सलाहकार समिति, पाली द्वारा भूमिहीन कृषक अप्रार्थी संख्या 01 राजाराम के पक्ष में कानूनी नियमों की मंशानुसार सही किया गया है, जिससे प्रार्थी का जैर प्रार्थना–पत्र काबिले खारिज है। जैर आवंटन के पश्चात से आज दिनांक तक जैर आराजी पर अप्रार्थी संख्या 01 का ही कब्जा काश्त है तथा आवंटन नियमों की पूर्ण पालना की जाने पर ही अप्रार्थी को खातेदारी अधिकार भी प्राप्त हो चुके है। जैर प्रार्थना–पत्र प्रार्थी द्वारा लगभग 56 वर्षों पश्चात प्रस्तुत किया है जबकि उक्त देरीना का अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा कोई स्पष्ट एवं संतोषजनक कारण नहीं बताया गया है जबकि जैर आवंटन की प्रार्थी को पूर्व से ही जानकारी थी क्योंकि न्यायालय हाजा में एक अन्य प्रकरण प्रार्थी के भाई दलपतसिंह पुत्र श्री नैनसिंह की ओर से अप्रार्थी संख्या 01 के विरूद्ध पेश किया। साथ ही अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 01 ने अवगत करवाया कि बवक्त आवंटन अप्रार्थी संख्या 01 सरकारी कार्मिक के रूप में कार्यरत नहीं था। अतः जैर आवंटन विधिपूर्वक होने व प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र आवंटन के 56 वर्षों के लम्बे अरसे के बाद पेश करने का विधिक अधिकार नहीं होने व सारहीन होने से सव्यय खारिज फरमावे। अधिवक्ता अप्रार्थी ने अपने कथनों के समर्थन में न्यायिक नजीर RBJ (16) 2009 प्रस्तुत की।

जिला कलेक्टर, पाली

प्रकरण में समायतशुदा बहस व पत्रावली के अवलोकन करने पर यह प्रकट आता है कि आवेदक द्वारा अप्रार्थी संख्या 01 के पक्ष में ग्राम गोदावास पटवारी हल्का डिरी तहसील पाली के सरहद में स्थित खसरा संख्या 23 क्षेत्रफल 06 बीघा किस्म बारानी सोयम दिनांक 20.07.1968 को आवंटित की गई थी, उसे निरस्त करवाये जाने हेतु जैर आवेदन नियम 14(4) अन्तर्गत राजस्थान कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 के तहत प्रस्तुत किया है तथा उक्त आवेदन में जो प्रमुख आधार लिये गये है वह यह है कि –

1. मिथ्या तथ्य प्रकट कर के जिसमें प्रमुखतया आवेदक का भूमिहीन नहीं होना बताया है।
2. विवादित भूमि पर आवेदक का कब्जा होना अवगत करवाया है तथा भूमि को अनधिवासित नहीं होना व्यक्त किया है।
3. आवंटन बाबत् अधिपत्य विहिन भूमि की कोई सूची तैयार नहीं होना, राजस्व कार्मिकों की रिपोर्ट नहीं होना, कोरम का अभाव होना व आवंटन शर्तों की अपालना होना भी अवगत करवाया है ।
4. अप्रार्थी संख्या 01 का सरकारी कर्मचारी होना अवगत करवाया।

विपक्षी आवंटी द्वारा आवेदक प्रार्थी के उक्त सभी कथनों का विस्तारपूर्वक खंडन किया गया है।

प्रकरण में हम आवेदक के उज्रात का बिन्दुवार विवेचन करना उचित समझते है। सर्वप्रथम तो हम यह कहना उचित समझते है कि जैर आवंटन वर्ष 1968 में हुआ जबकि प्रार्थी द्वारा जैर प्रार्थना–पत्र निरस्तीकरण बावत् वर्ष 2024 में यानि कि लगभग 56 वर्ष बाद प्रस्तुत किया है जो स्वयं अपने आप में विस्मयकारी है।

1. आवेदक का प्रथम उज्र कि जैर आवंटन करवाने बावत् जो प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया उसमें आवंटी द्वारा मिथ्या तथ्य यथा भूमिहीन प्रकट किये है एवं उक्त तथ्य की ताईद में अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा एक फहरिस्त मय दस्तावेज प्रस्तुत किया जिसमें अप्रार्थी संख्या 01 को एक अन्य आवंटन दिनांक 03.01.76 को बमुकाम भांवरी में आवंटन सलाहकार समिति द्वारा अन्त्योदय योजना में चयनित परिवारों को सिवायचक कृषि भूमि का दस साल हेतु आवंटन किया गया है, अंकित है। उक्त दस्तावेज का अवलोकन करने से स्पष्ट होता है कि उक्त अन्य आवंटन अप्रार्थी को वर्ष 1976 में किया गया था एवं जैर आवंटन वर्ष 1968 से संबंधित है। जिससे सुस्पष्ट है कि ववक्त आवंटन अप्रार्थी संख्या 01 को वर्ष 1976 में किया गया अन्य आवंटन अस्तित्व में ही नहीं था। साथ ही आवंटी द्वारा आवंटन करवाने बाबत् जो प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया था उसमें आवंटी की पात्रता एवं उससे संबंधित कोई तथ्य आवंटी ने छिपाये हो, ऐसा भी कोई दस्तावेजी साक्ष्य अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है। जिससे प्रार्थी का उक्त उज्र स्वीकार योग्य नहीं है।
2. द्वितीयतः आवेदक द्वारा उक्त भूमि पर अपना कब्जा होना अवगत करवाया है, जिस बाबत् विपक्षी ने अपने पक्ष में माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा मणीराम बनाम देवीसिंह आर.बी.जे. 2009 (16) पेज संख्या 789 न्यायिक नजीर प्रस्तुत की जिसमें सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि when disputed land was in possession of the appeallant as trespasser – Such possession would be considered as trespass – a trespassed land is not considered as an occupied land and such land is available for allotment अर्थात् अन्य व्यक्ति का कब्जा trespass ही माना जाता है तथा उसका कोई locus standai नहीं होता।
3. प्रार्थी आवेदक का तृतीय उज्र आवंटन बाबत् अधिपत्य विहिन भूमि की कोई सूची तैयार नहीं होना, राजस्व कार्मिकों की रिपोर्ट नहीं होना परन्तु अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा अपने उक्त उज्र के समर्थन में भी कोई साक्ष्य प्रस्तुत किया किया है। आवंटी के पक्ष में किये गये आवंटन के समय अपनाई गई प्रक्रिया में कोरम अपूर्ण होने से संबंधित होने के कथन के समर्थन में भी अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा किसी प्रकार के साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये गये है।
4. प्रार्थी का चतुर्थ उज्र कि अप्रार्थी संख्या एक सरकारी कर्मचारी था जिसके विरूद्ध विपक्षी अधिवक्ता ने कार्यालयाध्यक्ष, जिला कलक्टर पाली द्वारा हस्तक्षारित एक दस्तावेज प्रस्तुत किया जिसमें आवंटी का जिला पूल, कलक्ट्रेट पाली में ड्राईवर पद पर नियुक्ति दिनांक 10.02.1982 अंकित है एवं उक्त दस्तावेज दिनांक 21.01.2025 को नोटेरी पब्लिक द्वारा तस्दीकशुदा है। अतः उक्त दस्तावेज का अवलोकन करने पर सुस्पष्ट होता है कि अप्रार्थी संख्या 01 बवक्त आवंटन सरकारी कर्मचारी नहीं था। लिहाजा प्रार्थी का उक्त उज्र भी स्वीकार योग्य नहीं है।

जिला कलेक्टर, पाली

इसके अतिरिक्त 56 वर्ष पूर्व किये गये आवंटन में आवंटन शर्तों की पालना नहीं होना माना जाना एवं विशेष रूप से तब जब सक्षम अधिकारी द्वारा आवंटी को खातेदारी अधिकार प्रदान कर दिये हो, कोई विधिक आधार नहीं है। आवेदक का यह कथन कि जैर आराजी पर उसका पश्चातवृति नाम दर्ज हुआ है परन्तु अधिवक्ता प्रार्थी का उक्त कथन भी समायपयोगी नहीं है क्योंकि जैर आवंटन विधिवत होना ही प्रमाणित है।

समग्र रूप से हम लगभग 56 वर्षों बाद सरसरी, अत्यन्त तकनीकी एवं सारहीन आधारों पर आवेदक द्वारा वर्णित आधारों एवं हमारे द्वारा किये गये उपर्युक्त प्रेक्षणों के आधार पर जैर आवंटन को खारिज किये जाने के कोई विधिक एवं तथ्यात्मक आधार नहीं पाते है। अतएव प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत राजस्थान कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम, 1970 के नियम 14(4) अविधिक एवं सारहीन होने से खारिज कर अप्रार्थी संख्या 01 के पक्ष में ग्राम गोदावास पटवारी हल्का डिरी तहसील पाली के सरहद में स्थित खसरा संख्या 23 क्षेत्रफल 06 बीघा किस्म बारानी सोयम दिनांक 20.07.1968 को बहाल रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 19.05.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल.एन. मंत्री)
जिला कलक्टर, पाली
जिला कलेक्टर, पाली